जल प्याऊ शुरू

डूंगरपुर, (निसं)। भाविप मुख्य शाखा द्वारा द्वितीय शीतल जल प्याऊ का रीजनल सेक्रटरी गिरीश पानेरी व प्रांतीय संगठन मंत्री दिनेश श्रीमाल के आतिथ्य में गेप सागर झील के सामने पुराने पोस्ट ऑफिस के पास शुभारंभ हुआ।

जानकी नवमी उत्सव मनाया

बांसवाड़ा,(निसं)। जानकी नवमी पर मंगलवार को जगदीश्वरी, जगतजननी, श्रीराम वल्लभा माता जानकीजी का प्राकट्योत्सव प्रातरू सात बजे पिपली चौक स्थित श्री रघुनाथजी मन्दिर पर श्रद्धाभक्तिपूर्वक मनाया गया। श्री हनुमत चरित्र प्रचार समिति के तत्वावधान में किंकर कपिल जोशी, हितेन्द्र आचार्य एवं रघुनाथजी महिला मण्डल की सदस्याओं ने माता जानकीजी की स्तुतियां, भोग एवं आरती का लाभ लिया। ढोलक पर संगत ललित जोशी ने दी।भगवान की प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया गया।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F1(4)SEIAA/SEAC-Raj/Sectt./Project/Cat.B2 (20244) 2021-22 jaipur Dated: 6-5-2022 के द्वारा मै. राज मार्बल एण्ड मिनरल्स ML No. 21/2021 क्षेत्रफल 1.5107 हे. वास्ते खनिज क्वार्ट्ज, फैलसपार निकट ग्राम दौलाजी का खेडा, तह. देवगढ़, जिला राजसमंद (राज.) Production Capicity 259060 TPA (ROM) के लिए पर्यावरण स्वीकृतिप्रदान की गई है। उपरोक्त स्वीकृति पत्र की प्रति SEIAA राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाईट www.rpcb.nic.in पर देखी जा सकती है **मै. राज मार्बल&मिनरल्स**

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)

Email:np_ntd@yahoo.co.in.nagarpalikanathdwara@gmail.com Ph.02953-233526

क्रमांक: न.पा.नाथ./भूमि/22/11652 दिनांक:6/5/2022

आपत्तीय विज्ञप्ती

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि नगरपालिका में राजस्व ग्राम नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा के खसरा न. 2649, 3956/2647, 3957/2648, 3957/2649, 2647, 2648 कुलरकबामेंसे भूखण्ड संख्या 10,11,12,04,05,06,07 कुल क्षेत्रफल 596.67 वर्गमीटर आवासीय भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के तहत् वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ती हो तो वह व्यक्ति समाचार में प्रकाशित होने से 07 दिवस के अन्दर तक आपत्ती दर्ज करा सकता है। प्रस्तावित स्थल का विवरण निम्न सारणी अनुसार है। अवधि निकलने के पश्चात कोई आपत्ती मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	नाम व्यक्ति / संस्था का नाम	चाहा गया भू-उपयोग	प्रस्तावित स्थल का विवरण सीमाएं पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्री देवेन्द्र जोशी पिता ओंकार जोशी (पालीवाल) निवासी 13 ए सुखाडिया नगर, नाथद्वारा	(वाणिज्यिक) (पेट्रोल-पम्प)	भूखण्ड संख्या 09	भूखण्ड संख्या 3 व 13	100 फिट रोड	30फिट रोड

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001 दूरभाष सं.0294-2421255, 2420013, Helpline no-0294-2426262, वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2021-22/3802 **आम-सूचना** दिनांक:-10-5-22

श्री विमल प्रकाश तेली, गौतम कुमार तेली पिता स्व.श्री जगन्नाथ तेली निवासी 8, ब्रह्मपोल बाहार, मस्जिद के पास, उदयपुर ने नीचे वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/ मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
उदयपुर	8, ब्रह्मपोल बाहार, मस्जिद के पास, उदयपुर	पूर्व-आम रास्ता पश्चिम-मकान न. 8 उत्तर-आम रास्ता 14 फीट दक्षिण-रोड़ 69 फीट	545 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... के जारी की गई। आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001 दूरभाष सं.0294-2421255, 2420013, Helpline no-0294-2426262, वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2021-22/2748 **आम-सूचना** दिनांक:-10-5-22

श्रीमती मजिदन बेगम पत्नि श्री पिर मो.निवासी 20, भुपालपुरा मठ के नीचे, उदयपुर ने नीचे वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/ मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
उदयपुर	शहरी	पूर्व-रोड़ 13 फीट पश्चिम-आम रास्ता उत्तर-मो.शरीफ का मकान दक्षिण-मो.कादर का मकान	1664 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... के जारी की गई। आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001 दूरभाष सं.0294-2421255, 2420013, Helpline no-0294-2426262, वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2022-23/4556 **आम-सूचना** दिनांक:-10-5-22

श्री दीपक गांधी पिता श्री शांतिलाल गांधी निवासी मेहता जी की खिड़की, बड़ा बजार, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर ने वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/ मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
उदयपुर	मेहता जी की खिड़की, बड़ा बजार, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर	पूर्व-रोड़ 10 फीट पश्चिम-राजकुमार पोरवाल का मकान उत्तर-सुमन्त नेनावटी का मकान दक्षिण-संजय मेहता का मकान	150 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... के जारी की गई। आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001 दूरभाष सं.0294-2421255, 2420013, Helpline no-0294-2426262, वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/4539/2022-23/ **आम-सूचना** दिनांक:-10-5-22

श्रीमती जमनादेवी वैष्णव पत्नि श्री स्व.शान्तिलाल वैष्णव निवासी 32, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर ने वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/ मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
उदयपुर	32, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर	पूर्व-रोड़ 29 फीट पश्चिम-भगवती लाल का मकान उत्तर-कोशल जी का मकान दक्षिण-फतेहलाल का मकान	943.6 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गई। आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.)

Email:np_ntd@yahoo.co.in.nagarpalikanathdwara@gmail.com Ph.02953-233526

क्रमांक:न.प.नाथ./भूमि/22/11648 दिनांक: 6.5.2022

आपत्ती आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री देवेन्द्र जोशी पिता औंकार जोशी (पालीवाल) निवासी 13 ए सुखाडिया नगर नाथद्वारा नगरपालिका में राजस्व ग्राम नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा के खसरा न. 2649, 3956/2647, 3957/2648, 3957/2649, 2647, 2648 कुल रकबा में से भूखण्ड संख्या 10, 11, 12, 04, 05, 06, 07 का एकीकरण कर जिसका कुल क्षेत्रफल 596.67 वर्गमीटर है का आवासीय भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं संशोधन नियम- 2021 के तहत वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु आवेदन किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई आपती हो तो वह व्यक्ति समाचार में प्रकाशित होने से 07 दिवस के अन्दर तक आपत्ती दर्ज करा सकता है। प्रस्तावित स्थल का विवरण निम्न सारणी अनुसार है। अवधि निकलने के पश्चात कोई आपत्ती मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	प्रस्तावित स्थल का विवरण	प्रस्तावित स्थल के पड़ौस	वर्तमान भू-उपयोग	मास्टर प्लान में दर्शित उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग परिवर्तन
1	प्र.सं.60/18-19 भू.सं.4 पट्टाक्र.भू.रू./20/50 दिनांक 30.12.20, भू.सं.5 पट्टाक्र.भू.रू./20/51 दिनांक 30.12.20, भू.सं.6 पट्टाक्र.भू.रू./20/52 दिनांक 30.12.20, भू.सं.7 पट्टाक्र.भू.रू./20/53 दिनांक 30.12.20, भू.सं.10 पट्टाक्र.भू.रू./20/56 दिनांक 30.12.20, भू.सं.11 पट्टाक्र.भू.रू./20/57 दिनांक 30.12.20, भू.सं.12 पट्टाक्र.भू.रू./20/58 दिनांक 30.12.20	पूर्व- भूखण्ड संख्या 09 पश्चिम- भूखण्ड संख्या 3 व 13 उत्तर: 100 फिट रोड दक्षिण: 30 फिट रोड	आवासीय	आवासीय	वाणिज्यिक (पेट्रोल - पम्प)

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालय : आईई, एसएसआई सुखेर, एनएच-8, उदयपुर राजस्थान-313001, फोन नं: 0294-2440510, 2442453, मोबाईल: 8875006670, ई मेल-indsuk@bankofbaroda.com

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **श्री मोहन लाल कुम्हार पुत्र श्री जीवाजी कुम्हार एवं श्री विष्णु प्रजापत पुत्र श्री मोहन लाल कुम्हार एवं जमानतदार श्री गुनवन्त सिंह देवड़ा पुत्र श्री चतुर सिंह** पर मांग सूचना दिनांक 28.02.2022 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर दिनांक **28.02.2021 को बकाया राशि रू. 11,28,693.94 (रूपये ग्यारह लाख अठाइस हजार छह सौ तिरानवे एवं पैसे चौरानवे मात्र) दिनांक 01.11.2021 से ब्याज एवं अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक **05, माह मई,वर्ष 2022** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 30.04.2022 को बकाया राशि रू. 12,82,441.06 (रूपये बारह लाख बयासी हजार चार सौ इकतालीस एवं पैसे छह मात्र) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, आईई, एसएसआई सुखेर शाखा, एनएच-8, उदयपुर, राजस्थान-313001 के प्रभार के अधीन होगा।**

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री मोहन लाल कुम्हार पुत्र श्री जीवाजी कुम्हार के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो बेदला लिंक रोड, गांव सापेटिया, तहसील गिर्वा, उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 4171.00 वर्ग फीट है। **सीमाएं**- पूर्व: हिम्मत मार्बल एवं ट्रिनिटी मार्बल, पश्चिम: श्री नरेश कुम्हार का प्लॉट, उत्तर: श्री बंशी लाल जी कुम्हार का प्लॉट, दक्षिण: बेदला-सुखेर लिंक रोड

हस्ता.

स्थान: उदयपुर प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 05.05.2022 बैंक ऑफ बड़ौदा

'केंद्र की भाजपा सरकार की नाकामियों के चलते हम नागरिकों को बचा नहीं पाएं'

- उदयपुर पहुंचे राजस्थान युवा कांग्रेस के सह प्रभारी व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेन्द्र दर्शन सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया।
- 'मोदी सरकार जवाब दे कि क्या 47 लाख लोगों को मौत के मुंह में धकेलकर विश्व गुरू बना जा सकता है'
- 'भाजपा सरकार को जनता की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी सत्ता की फिक्र है'
- 'करोना मृतकों की संख्या का मोदी सरकार का आकलन झूठ की परकाष्ठा है'

उदयपुर, (कासं)। "केन्द्र की भाजपा सरकार की नाकामियों के चलते समय रहते हम अपने देश के नागरिकों को कोरोना से नहीं बचा पाएं। केन्द्र की मोदी सरकार जवाब दे कि क्या 47 लाख हिन्दुस्तानियों को मौत के मुंह में धकेलकर विश्व गुरू बना जा सकता है। साथ ही जिन परिवारों ने कोविड से अपनों को खोया है उनका सम्मान कर केन्द्र सरकार को चार लाख रूपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए।"

यह बात मंगलवार को उदयपुर पहुंचे राजस्थान युवा कांग्रेस के सह प्रभारी व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेन्द्र दर्शन सिंह ने पत्रकारों के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि वे उदयपुर में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले चिंतन शिविर के प्रचार-प्रसार का जिम्मा युवा कांग्रेस के जिम्मे है ऐसे में यहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से इस चिंतन शिविर से जुड़े है और अधिकाधिक युवाओं में इसका प्रचार कर इस शिविर से जोड़ा जाएं आदि को लेकर स्थानीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सम्पर्क कर जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान उन्होंने केन्द्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथो लेते हुए कहा कि डब्ल्युएचओ मुताबिक- भारत में कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। देश में 47 लाख से अधिक लोगों की जान गंवानी पडी। यह आंकड़ों मोदी सरकार के दिए आंकडों से दस गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मदद तो दूर, मौत पर भी झूठ बोलने वाली सरकार देश ने पहली बार देखी है। भाजपा सरकार को जनता की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी सत्ता की फिक्र है। यही कारण है कि भारत स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में पिछड रहा है। भाजपा सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने में विफल रही है।

राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी व मितेंद्र दर्शन सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदतर हुई है। वर्ष 2020 में 72 प्रतिशत मौतें अस्पताल के बाहर हुई हैं, ये आंकडा भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। ऐसे समय में स्वास्थ्य देखभाल के कुप्रबंधन की भयावहता की कल्पना करें, जब लाखों मृतकों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा की जब ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मृत्यु हुई तो उन्होंने परवाह नहीं की। जब लोग भूख से मरे तो उन्हें परवाह नहीं थी, क्या यही है अच्छे दिनों वाली सरकार? अच्छे दिनों का सपना दिखाकर नागरिकों की बर्बादी वाले दिन दिखाए जा रहे हैं।

मितेंद्र दर्शन सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी से 47 लाख लोगो की मौत हुई है, न की 4.8 लाख लोगो की जैसा की सरकार ने दावा किया था। इस परिस्थिति में जिन परिवारों ने अपनो को खोया है उनका सम्मान होना चाहिए और उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा उनकी मदद के लिए उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

कोरोना मृतकों की संख्या का मोदी सरकार का आकलन झूठ की परकाष्ठा है। डब्ल्युएचओ की रिपोर्ट ने भारत सरकार के झूठ की सारी पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने यह भी कहा की केंद्र सरकार अपना फर्ज निभाए और हर पीड़ित परिवार को चार लाख रूपए मुआवजा उनकी मदद के लिए उपलब्ध करवाए।

लेकसिटी में पहली बार इतनी गर्म रात, तापमान 31.6 डिग्री पर पहुंचा

- भीषण गर्मी से ना दिन में राहत व रात में चैन
- दिन का तापमान 42.8 डिग्री

उदयपुर, (कासं)। लेकसिटी में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। सोमवार को जहां इस सीजन का सबसे गर्म दिन (43.2 डिग्री) रहा वहीं बीती रात का तापमान 31.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। झीलों के शहर में यह पहली बार न्यूनतम तापमान में इतनी गिरावट देखी गई है। प्रचंड गर्मी के चलते ना दिन में राहत मिल रही है न रात को चेन महसूस हो रहा है। फिलहाल इस सप्ताह गर्मी का यह प्रकोप बरकरार रहेगा और तापमान 42 डिग्री के इर्द-गिर्द ही रहने की संभावना है।

उदयपुर शहर में आसमान से आग बरस रही है। दिन का तापमान मंगलवार को 42.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले सोमवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहने के साथ ही 43.2 डिग्री तापमान रहा था लेकिन प्रचंड गर्मी से किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। दिन के तापमान के साथ ही रात का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। करीब 40 से 50 सालों में पहली बार यह देखा गया है कि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को रात का तापमान 27.6 डिग्री था जो बुधवार को चार डिग्री और बढ़कर 31.6 डिग्री पर जा पहुंचा। मौसम विज्ञानियों की माने तो इस सप्ताह गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर भी गर्मी से कुछ राहत देगा। दिन में लू के थपेड़ों से लोग बेहाल है।

आर्किटेक्ट कपिल इंटोदिया सम्मानित

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर शहर की युवा प्रतिभा आर्किटेक्ट कपिल इंटोदिया (जैन) का बाड़मेर के चीवा गांव में 10 करोड़ की लागत से बन रहे स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स भूमि पूजन समारोह में सम्मानित किया गया। साथ ही कपिल जैन को इस निर्माण कार्य के लिए आर्किटेक्ट व तकनीकी सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

उन्हें यह सम्मान ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान एवं राज्यपाल, प्रधानमंत्री व महिला सशक्तिकरण के लिए कई संगठनों से सम्मानित हो चुकी रूमा देवी द्वारा प्रदान किया गया। बाड़मेर के चवा में रूमादेवी-सुगणी देवी स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का गत 7 मई को भूमि पूजन समारोह के दौरान रूमा देवी व बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। कपिल जैन ने बताया कि उन्हें इस निर्माण कार्य के लिए आर्किटेक्ट व तकनीकी सलाहकार बनाया गया है ऐसे में वे प्रयास करेंगे कि ऐसे स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जो तकनीकी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो।

सार-समाचार

मेवाड़ा प्रजापत सेवा संस्थान की बैठक

उदयपुर, (कासं)। मेवाडा प्रजापत समाज सेवा संस्थान कैलाशपुरी उदयपुर की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुलदेवी श्री श्रीयादे माता मंदिर पर वार्षिक ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रति वर्ष की भांति वृहद रूप से करने तथा अध्यक्ष पद का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। युवा संगठन अध्यक्ष कमलेश प्रजापत ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता संस्थान अध्यक्ष रोशन लाल कुम्हार ने की। बैठक में सर्वप्रथम संस्थान अध्यक्ष ने विचारणीय बिन्दुओ को प्रस्तुत करते हुए बताया कि विगत 2 वर्ष से कोविड-19 के कारण चुनाव को स्थगित किया जा रहा था लेकिन इस बार स्थितियां अनुकूल होने से अध्यक्ष पद का चुनाव मतदान प्रक्रिया द्वारा करवाया जाएगा। इस हेतु आगामी 19 जून को अध्यक्ष पद हेतु इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र कैलाशपुरी मंदिर पर जमा करा सकेंगे तथा उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन पत्र वापस उठाने एवं चुनाव चिन्ह आवंटन करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी तथा 2 जुलाई को प्रात: 8 से दोपहर 2 बजे तक मतदान किया जाएगा, 3 बजे से मतगणना तथा तत्पश्चात विजयी उम्मीदवार को पदभार ग्रहण कराया जाएगा।

ग्रीष्मकालीन शिविर के पंजीयन शुरू

उदयपुर, (कासं)। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत भारतीय लोक कला मण्डल में दिनांक 16 मई से एक माह तक आयोजित किये जाने वाले ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के पंजीयन प्रारम्भ हो गये है। भारतीय लोक कला मण्डल के मानद सचिव सत्य प्रकाश गौड ने बताया कि भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर अपनी स्थापना से ही लोक कलाओं के प्रोत्साहन, प्रचार- प्रसार एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य से वर्ष भर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करता रहता है इसी क्रम में प्रति वर्ष आयोजित किये जाने वाले ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षिण शिविर का आयोजन 16 मई से किया जा रहा है जिसमें विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

खान विभाग ने 101 परिंडे बांटे

उदयपुर, (कासं)। ग्रीष्म ऋतु के दौरान जिले में बेजुबान पशु-पक्षियों की प्यास को बुझाने के जतन लगातार जारी है। इसी श्रृंखला में खान एवं भू विज्ञान विभाग की विभागीय समन्वय समिति की ओर से मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप महानिरीक्षक (पुलिस) राजेन्द्र प्रसाद गोयल व समिति अध्यक्ष ललित पांडे द्वारा आमजन को 101 परिंडे वितरित किए। मुख्य अतिथि गोयल ने खान एवं भू विज्ञान विभाग की विभागीय समन्वय समिति की ओर से परिंडें वितरित करने के कार्य की सराहना की और इसे पुण्य का कार्य बताते हुए आमजन से आ ान किया कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए निरीह पक्षियों के लिए दिए गए इन परिंडों में नियमित रूप से पानी और पास में दाना डालें ताकि दाना-पानी के अभाव में ये दम न तोडें।

सक्का भारत भूषण अवार्ड से सम्मानित

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार इकबाल सक्का को भारत भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। भोपाल मध्यप्रदेश से एंटी हरासमेंट फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रतिभा वाईकर ने बताया किभारत के विभिन्न क्षेत्रों में चयनित बाल विकास, बाल शिक्षा, महिला सुरक्षा, समाजसेवा, कला व सामाजिक कार्य करने वाले विभूतियों को हर वर्ष भारत भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। कला के क्षेत्र में इस वर्ष उदयपुर राजस्थान के गिनिज बुक वर्ल्ड रिकार्ड होल्डर इकबाल सक्का को विश्व में सबसे अधिक विश्व रिकॉर्ड बनाने पर फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सक्का को भारत भूषण अवार्ड स्वरूप प्रमाण पत्र, ट्रॉफी व गोल्ड मेडल प्रदान कर सम्मानित किया।

धमकाने का मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। अम्बामाता थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कर पीड़ित को धमकाने का मामला दर्ज किया। पीड़ित ओडबस्ति निवासी मखनूर खां पुत्र मोहम्मद खां ने छतरी वाला चौक धोली बावड़ी मनजूर खां पुत्र मुन्ना खां, फारूख खां पुत्र मुन्ना खां, गुड्डू लंगड़ा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। कि आरोपी ने लेन देन के विवाद में मुझे धमकाया। जिससे परेशान होने से विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया।

धोखे से मकान हड़पने का मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। शहर के हिरणमगरी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मकान पर धोखे से कब्जा करने का मामला दर्ज किया।

पीड़ित महावीर कॉलोनी हिरणमगरी सेक्टर 4 निवासी शिवराजसिंह पुत्र नारायणसिंह शक्तावत ने आरोपी आदर्शनगर वैशाली अपार्टमेंट के सामने हिरणमगरी सेक्टर 4 निवासी शिवराजसिंह शक्तावत के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। कि आरोपी रिश्ते में मेरा साढू लगता है वर्ष 2000 में मैने मकान बना कर आरोपी को रहने की लिए दिया था। उक्त मकान को आरोपी ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया। इसका पता चलने पर एतराज किया तो आरोपी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया।

उपखंड स्तर पर जनसुनवाई शिविर कल

- भीण्डर को छोड़ सभी उपखण्ड मुख्यालय पर होंगे शिविर
- शिविरों के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जारी किए निर्देश

उदयपुर, (कासं)। राज्य सरकार की ओर से जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं व समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान कर उन्हें राहत प्रदान करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की अनुपालना में प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को आयोजित होने वाले जन सुनवाई शिविरों के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार उदयपुर जिले में 12 मई को भीण्डर उपखंड (पंचायत उपचुनाव आचार संहिता के कारण) को छोड़कर सभी उपखंड मुख्यालय के पंचायत समिति कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से उपखंड स्तरीय जनसुनवाई शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इन शिविरों में उपखंड व ब्लॉक स्तरीय विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में आम जनता की व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं को सुना जाएगा और उनके निवारण किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप इस जनसुनवाई कार्यक्रम के बारे में आमजन को जागरूक करते हुए उनकी समस्याओं को मौके पर निस्तारण कर राहत प्रदान करें। कलेक्टर ने बताया कि इन शिविरों में उपखण्ड स्तर के अधिकारियों यथा उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीएचईडी, विद्युत, निर्माण, जल संसाधन, चिकित्सा विभाग आदि संबंधित विभागों के अधिकारी भाग लेंगे। शिविरों में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, नाली, सफाई, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि से जुडी हुई समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा। वहीं संपर्क पोर्टल पर दर्ज ऐसे प्रकरण जिनका निस्तारण ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा चुका, किन्तु प्रार्थी संतुष्ट नही है, का संवेदनशीलता पूर्वक निस्तारण उपखंड अधिकारी या उनके द्वारा नामित अन्य विभाग के उपखंड स्तर के अधिकारीयों द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने इस जनसुनवाई कार्यक्रम में सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए है।

कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। परिवहन अधिकारी सहित अन्य के खिलाफ ट्रक के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अलग अलग व्यक्ति के नाम वाहन ट्रांसफर करने का मामला प्रतापगर थाना पुलिस ने दर्ज किया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित ऋषभदेव ऑटो मोबाईल ट्रासपोटनगर एयरपोट राड़ के प्रोपराईटर जितेन्द्र कुमार जैन पुत्र महेन्द्र कुमार जैन ने एनबी नगर धाउजी की बावड़ी उदयपुर निवासी राकेश शर्मा पुत्र कैलाश चन्द्र शर्मा, गजेन्द्र शर्मा, नला फला निवासी विकास पुत्र राधेश्याम लबाना, करणी फिटनेस सेंटर मादड़ी के प्रोपराईटर विक्रमसिंह, इण्डस बैंक, जिला परिवहन अधिकारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। कि मेरे पास अशोक लिलेण्ड इण्यि ग्रुप का सर्विस सेंटर है। 12 सितंबर 2019 को एक एक्सिडेंट शुदा ट्रक राकेश ने सर्विस सेंटर पर जमा करवाया। जिसका जाब कार्ड तैयार कर बीमा कंपनी को सौप कर काम शुरू कर दिया। कुड समय बाद आए राकेश ने आर्थिक तंगी का हवाला देकर रूपये ले गया तथा बदले में ट्रक मुझे बेच दिया। कुछ समय बाद 7 लाख 66 रूपये से अधिक का बीम बीमा कंपनी को भेज दिया। तब पला चला कि उक्त वाहन की एनओसी जारी होकर गजेन्द्र शर्मा व विकास लबाना के नाम पर ट्रांसफर हो चुके है। करणी फिटनेस सेंटर के प्रोपरईटर, जिला परिवहन अधिकारियों व बैक ने मिली भगत कर उक्त वाहन का करवाया। जिससे मुझे करीब 27 लाख रूपये का नुकसान हुआ। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।